न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम, चित्रकूट,

सत्र परीक्षण संख्या 594/2025
उ0प्र0 राज्य बनाम कमलेश यादव आदि
धारा 308,323,504,506 भा0दं0सं0
थाना–कर्वी कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर।

01.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण कमलेश यादव, राहुल यादव व गीता देवी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) को आरोप के बिन्दु पर सुना।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आरोप के बिन्दु पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रस्तुत वाद में वादी धनराज पुत्र देशराज ने रंजिशन व झूठा फंसा दिया है। अभियुक्ता गीता देवी ने वादी मुकदमा धनराज द्वारा दिनांक 19.06.2024 को शाम 7 बजे घर में घुसकर अभियुक्ता की लडकी अर्चना देवी उम्र 17 वर्ष के साथ बुरी नियत से छेड़खानी किया तथा गाली गलौज करके वादी व वादी की पत्नी रेखा देवी ने बुरी बुरी गालियाँ देते हुए थप्पड़ो से मारे पीटे तथा जमीन पर गिरा दिये जिसकी लिखित शिकायत अभियुक्ता ने दिनांक 20.06.2024 को कोतवाली कर्वी में दी, तथा जिसका मुकदमा सम्प्रति में विशेष सत्र परीक्षण संख्या 449/2024 गीता देवी बनाम धनराज आदि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सों की अदालत में परीक्षण हेतु लम्बित है। वादी मुकदमा ने इस घटना के पूर्व भी गाली गलौज करके कई बार झगडा फसाद पर आमादा हुआ है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा पड़ोसी व पारिवारिक होने के कारण शिकायत नहीं किया। वादी मुकदमा थाना कोतवाली कर्वी व प्रस्तुत मामले के विवचेक से सॉठ–गाँठ करके हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर झूठी व असत्य निराधार कुटिल आशय से आरोप पत्र प्रस्तुत कराया तथा अभियुक्तगण जेल जा सके, जबकि प्रथम दृष्टया धारा 308, 323, 504, 506 भा०दं०वि० का अपराध सृजित नहीं होता। उक्त अपराध सृजन के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली में विद्यमान नहीं है। यदि दोषारोपण को इसके स्वयं के रुप में सत्य होना मान लिया जाता है तो भी संकलित साक्ष्य इस रुप में संतुष्ट नहीं करता जो सारभूत साक्ष्य के रुप में माना जा सकेगा। इस प्रकार विलम्बित परीक्षण अंततः विफल होगा। अभियुक्तगण या प्रार्थीगण के विरुद्ध की धारा 308, 323, 504, 506 भा०दं०वि० के अधीन प्रथम दृष्टया कोई वाद साबित नहीं होता है। इसलिए न्यायहित में आवेदक उन्मोचित होने के लिए दायी है। उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में प्रार्थीगण/अभियुक्तण को उन्मोचित करने की कृपा की जाये।

Digitally signed by Rahul Mishra
Date: 2026.06.02 01:24:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त तर्क के विपरीत विद्वान ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308,323,504,506 भा0दं0सं0 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र (पुलिस रिपोर्ट) और उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजों पर विचार करने से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तथा आरोप विरचित करने के लिये उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध गठित करने हेतु सदितत्व विद्यमान है। न्यायालय में जो आरोप पत्र और उसके साथ पुलिस प्रपत्र दाखिल किये गये है उन्हीं के आधार पर यह देखा गया है कि प्रथमदृष्टया मामला बनता है कि नहीं। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में यह अंकित है कि चिकित्सीय अभिलेख पत्रावली में दाखिल नहीं है जबकि पत्रावली में सभी मजरूबों के चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल हैं। अभियुक्तगण के खिलाफ मामले का निर्णय साक्ष्योंपरान्त दोनों पक्षों को सुनकर किया जाना है तथा उपरोक्त अभिलेख अपने बचाव में विचारण के अवस्था में ही न्यायालय में दाखिल कर सकता है अभी नहीं। प्रथमदृष्टया मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध भलीभॉति सुस्थापित है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2025 कानूनन व वाकयातन निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न उन्मोचन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ख एवं उसके साथ संलग्न शपथ पत्र कागज संख्या 7ख अवलोकन किया गया। उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत आपत्ति द्वारा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कागज संख्या 8ख का अवलोकन किया गया अभियुक्तगण की ओर प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र और उनके विद्वान अधिवक्ता का तर्क की विषयवस्तु यह है कि अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में वादी मुकदमा धनराज के विरूद्ध पूर्व में सत्र परीक्षण संख्या 04/2024 गीता देवी बनाम धनराज में दिनांक 20.06.2024 को लिखित शिकायत की थी और उक्त प्रकरण में निष्पक्ष विवेचना के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसके काउंटर ब्लास्ट में यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है और विवेचक द्वारा निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है और गलत आरोप पत्र प्रेषित किया है। उन्मोचन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ख/2 के पैरा 4 में यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा थाना कोतवाली कर्वी व प्रस्तुत मामले के विवेचक से साठॅ–गॉठ करके हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर झूठी व असत्य निराधार कुटिल आशय से आरोप पत्र प्रस्तुत कराया तथा अभियुक्त जेल जा सके, जबकि प्रथम दृष्टया धारा 308,323,504,506 भा0दं0सं0 का अपराध सृजित नहीं होता। उक्त अपराध सृजन के संबंध में कोई चिकित्सीय

अथवा अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली में विद्यमान नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को उन्मोचित करने की मांग की गयी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न केस डायरी के पर्चा संख्या 2 दिनांकित 24.06.2024 में मजरूब धनराज यादव के मेडिकल प्रपत्र का अवलोकन मजरूबा रेखा यादव के मेडिकल प्रपत्र का अवलोकन एवं मजरूबा बच्ची के मेडिकल प्रपत्रों का अवलोकन करने का तथ्य लिखा है तथा सी0डी0 के पर्चा संख्या 2 में ही मजरूब धनराज यादव के एक्सरे प्लेट तथा मजरूबा रेखा यादव के एक्सरे प्लेट का अवलोकन किया गया है। सी0डी0 में रेखा यादव का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 19.06.2024 को जिला संयुक्त चिकित्सालय में किये जाने का प्रपत्र संलग्न है, जिसमें रेखा यादव के शरीर पर 2 चोटें पाईं गयी हैं और एक्सरे किये जाने की सलाह दी गयी है। इसी प्रकार बच्ची देवी का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 26.06.2024 को जिला चिकित्सालय चित्रकूट में किया गया है, जिसमें बच्ची देवी के शरीर पर 3 चोटें पाई गयी हैं। दिनांक 19.06.2024 को धनराज यादव का चिकित्सीय परीक्षण जिला संयुक्त चिकित्सालय चित्रकूट में किया गया है, जिसमें एक चोट धनराज यादव के शरीर पर होना पाया गया है। इसी प्रकार रेखा यादव व धनराज यादव के एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। सी0डी0 के पर्चा संख्या 2 में वादी मुकदमा धनराज यादव चुटहिल भी है के बयान मजरूबा रेखा यादव के बयान मजरूबा बच्ची के बयान अंकित किये गये हैं, जिनका अवलोकन किया गया, जिसमें अभियुक्तगण की भूमिका स्थित रूप से बतायी गयी है तथा पर्चा संख्या 2 में ही निरीक्षण घटनास्थल भी किया गया है। सी0डी0 के पर्चा संख्या 3 दिनांकित 03.07.2024 में बयान, गवाह रामसुमेर यादव, शिव शंकर, अखिलेश यादव अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण कमलेश पुत्र केशव, राहुल पुत्र कमलेश, गीता पत्नी कमलेश द्वारा धनराज की पत्नी रेखा व धनराज की मां बच्ची देवी को मारना, पीटना, गाली गलौच करना तथा उक्त मारपीट से धनराज की पत्नी रेखा देवी का सिर फट जाने का तथ्य बताया गया है। सी0डी0 के पर्चा संख्या 6 दिनांकत 19.07.2024 के द्वारा विवेचना समाप्त कर कमलेश यादव, राहुल यादव, व गीता यादव के विरूद्ध धारा 308,323,504,506 भा0दं0सं0 का आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

आरोप के स्तर पर न्यायालय को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों को भी देखना होता है और उन प्रपत्रों के अवलोकन के पश्चात यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों से एकमात्र निष्कर्ष यह निकलता है कि आरोप निर्मित ही नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में ही उन्मोचन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेजों से आरोप कारित किये जाने का गंभीर संदेह भी विद्यमान है तो भी उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये आरोप निर्मित किया जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रपत्रों के अवलोकन से घटना में अभियुक्तगण कमलेश यादव, राहुल यादव व गीता की संलिप्तता आरोप निर्मित करने हेतु अभियोजन साक्ष्य सामग्री एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रतीत हो रही, जहां तक प्रश्न काउंटर ब्लास्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की है तो विचारण के दौरान अभियुक्तगण यह तथ्य न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः उपरोक्त कारणों से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त कारणों से उन्मोचन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ख निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति कागज संख्या 8ख निस्तारित की जाती है।

(राहुल मिश्रा)
अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम
चित्रकूट,